न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 59/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

हरिओम पुत्र रामप्रसाद जाति छीपा, निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री पिंकेश जगरवाल एडवोकेट (अप्रार्थी)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

आदेश दिनांक– 04.08.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में ग्राम मालबमोरी की आराजी खसरा नंबर 976 रकबा 1.99 है. किस्म नहरी I अप्रार्थी के खाते दर्ज है। ग्राम मालबमोरी की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2023 में खसरा नं. 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044 से 2063 साबिक खसरा नंबर 749 से हाल खसरा नंबर 976 रकबा 1.99 है. कायम हुआ है। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट कार्य उक्त आराजी को अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस समाअत कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम मालबमोरी की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2023 में खसरा नं. 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म तलाई दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेट 2044 से 2023 में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 749 रकबा 26 बीघा [illegible] खसरा के हाल खसरा नं. 976 रकबा 1.99 है0 किस्म नहरी I कायम कर दौराने सेटलमेंट कर [illegible] अवैधानिक रूप से गोपीलाल, रामप्रसाद पिसरान राधाकिशन कौम छीपा साकिन सीसवाली के खाते [illegible] कर दिया तथा मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 हाल खसरा नंबर 976 रकबा 1.99 है किस्म नहरी I रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन छीपा साकिन सीसवाली के खाते दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या [illegible]80 दिनांक 12.06.2013 [illegible] अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है, जो अवैधानिक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार भूमि साबिक खसरा नं. 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नं. 976 रकबा 1.99 है. को शून्य घोषित कर पूर्व की स्थिति तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4– अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में समतल काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य भूमि स्थित है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। आराजी अप्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी के खाते दर्ज होने के लगभग 40 वर्ष से अधिक समय पश्चात तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5– हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 976 रकबा 1.99 है. जो कि साबिक खसरा नंबर 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा से कायम हुआ है तथा सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार आराजी खसरा नंबर 726 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम मालबमोरी में दर्ज आराजी खसरा नं. 976 रकबा 1.99 है0 किस्म नहरी I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 749 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म तलाई से बना है जिसका गोपीलाल, रामप्रसाद पिसरान राधाकिशन कौम छीपा साकिन सीसवाली को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी [illegible] रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दि[illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज.)